Email
Time 12:32
Date 12-9-25

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 09-09-2025

क्रमांक **F-1/1/4/0033/2025-Sec-1-10(FOR** :: राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-**1/1/4/0018/2025-sec-1-10**, दिनांक **17.06.2025** द्वारा श्री रवि सिंह भदौरिया, वनक्षेत्रपाल को परिक्षेत्र अधिकारी सागर, सामान्य वनमंडल उत्तर सागर से स्थानांतरित कर परिक्षेत्र अधिकारी फतेहगढ सामान्य वनमंडल गुना में पदस्थ किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री रवि सिंह द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट याचिका क्रमॉक **24328/2025** में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक **09.07.2025** को निर्णय पारित कर निम्न निर्देश दिये गये:-

..... In view of the aforesaid, without expressing anything on the merit of the case, the present petition stands disposed of with a direction that if the petitioner prefers a representation before respondent No.1 within a period of seven days from today, the respondent No.1 shall take decision thereon within a further period of three weeks by passing a well reasoned and speaking order in accordance with law.

5. If the representation in terms of this order is not submitted within seven days from today this order shall lose its efficacy automatically.

6. For a period of thirty days or till the decision by the respondent No.1 on the representation (whichever is earlier), the petitioner shall be allowed to continue at his present place of posting i.e. office of Range Officer Manjhagawan, Forest Division (T) North Sagar, District Sagar.

7. With the aforesaid, the present writ petition stands disposed of.

पुन: मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक **14.07.2025** को उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:-

Heard on IA No.13109/2025 which is an application for modification of order dated 09/07/2025.

It is submitted by the counsel that due to inadvernant mistake, in first and last paragraphs of the order dated 09/07/2025, present place of posting of the petitioner has been mentioned as "Range Officer Manjhagawan Forest Division (T) North Sagar, District Sagar" in place of "post of Forest Range Officer, Sagar Forest Division (T) South Sagar", It is further contended by the counsel that petitioner is posted at South Sagar whereas in the impugned order of transfer (Annexure P/1), it has

been wrongly mentioned as "North Sagar", therefore, prays for modification of the same.

On due consideration, same is allowed.

Let first and last paragraphs of the order be substituted and read as "post of Forest Range Officer, Sagar Forest Division (T) South Sagar".

This order shall be read conjointly with the order dated 09/07/2025 passed in WP No.24328/2025.

Accordingly, IA No.13109/2025 stands disposed of.

2/ मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2025 एवं संशोधन दिनांक 14.07.2025 के अनुक्रम में श्री रवि सिंह, वन क्षेत्रपाल द्वारा दिनांक 14.07.2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर मुख्यत: लेख किया है कि राज्य शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 24.02.2023 से उनकी पदस्थिति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर प्रथम पदस्थापना परिक्षेत्र अधिकारी खुरई सामान्य वनमण्डल उत्तर सागर की गयी जिसमें मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 17.05.2023 द्वारा संशोधन कर परिक्षेत्र अधिकारी, बांदरी सामान्य वनमण्डल उत्तर सागर किया गया। तत्पश्चात पुन: मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 19.06.2023 द्वारा उक्त पदस्थापना में संशोधन कर परिक्षेत्र अधिकारी, सागर सामान्य वनमंडल दक्षिण सागर पर पदस्थ किया गया। 23 माह पश्चात म.प्र. शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 17.06.2025 द्वारा पुन: स्थानांतरण परिक्षेत्र अधिकारी, सागर सामान्य वनमण्डल दक्षिण सागर से परिक्षेत्र अधिकारी फतेहगढ़ सामान्य वनमंडल गुना किया गया है। 02 वर्षो कि अवधि मे उनका 04 बार स्थानांतरण किया गया है। एवं उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच, गंभीर शिकायते नहीं है।

3/ प्रकरण में उल्लेखनीय है कि श्री रवि सिंह, वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी सागर, सामान्य वनमंडल दक्षिण सागर में पदस्थिति अवधि 02 वर्ष से अधिक है।

4/ वनक्षेत्रपाल का पद द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी का पद होने से एवं स्थानांतरण नीति 2025 की कण्डिका 18 अनुसार राज्य शासन अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत उनकी पदस्थापना पर विचार कर सकता है, जिसमें एक हपदस्थापना स्थल पर 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की अनिवार्यता नहीं है।

5/ प्रकरण में श्री रवि सिंह, वनक्षेत्रपाल के सेवा अभिलेखों में उनका नाम श्री रवि सिंह अंकित है एवं श्री रवि सिंह, वनक्षेत्रपाल की वर्तमान पदस्थिति वन परिक्षेत्र सागर, सामान्य वनमंडल दक्षिण सागर है।

अतः राज्य शासन एतदद्वारा शासन आदेश दिनांक 17.06.2025 में टंकण त्रुटि को सुधार कर श्री रवि सिंह भदौरिया के स्थान पर श्री रवि सिंह एवं वर्तमान पदस्थापना परिक्षेत्र अधिकारी सागर, सामान्य वनमंडल उत्तर सागर के स्थान पर वन परिक्षेत्र सागर,

सामान्य वनमण्डल दक्षिण सागर अंकित करता है एवं समग्ररूप से विचारोपरांत श्री रवि सिंह,वनक्षेत्रपाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक **14.07.2025** को अमान्य कर नस्तीबंद्ध करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Rajbendra Mishra
Date: 09-09-2025
14:50:43

EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक **F-1/1/4/0033/2025-Sec-1-10**, भोपाल दिनांक **09-09-2025**

प्रतिलिपि:-

1.सचिव, माननीय मुख्मंत्री कार्यालय, भोपाल।

2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।

4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।

5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्यो.) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) वन भवन, भोपाल।

6. संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी .... मध्यप्रदेश की ओर संबंधित वनक्षेत्रपाल को तत्काल भारमुक्त करने हेतु द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।

7. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र.मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।

8. संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।

9. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही/-
EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कक्ष / कर्मचारी का नाम
अ.प्र.मु.व.स. (सू.प्रौ.)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल

(शाखा-प्रशासन-II)

पृ.क्र./प्रशा-II/स्था-3/व.क्षे.कक्ष/ 5006 भोपाल दिनांक 12/09/2025

प्रतिलिपिः

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आदेश की प्रति प्रेषित है। कृपया वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक सागर/शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल उत्तर सागर/गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल दक्षिण सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया आदेश की प्रति श्री रवि सिंह, वनक्षेत्रपाल को तामिल कराते हुए शीघ्र नवीन पदस्थिति हेतु भारमुक्त करना सुनिश्चित करें।
5. श्री रवि सिंह, वनक्षेत्रपाल द्वारा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल दक्षिण सागर के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आदेश/गार्ड फाईल।

(संजय पाठक)
उप वन संरक्षक(प्रशा-II)
मध्यप्रदेश भोपाल